भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3749
दिनांक 12 अगस्त, 2025 / 21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना

†3749. श्री जयन्त बसुमतारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए इस सर्वाधिक प्रभावी योजना को रोकने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की भांति सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने, वीवीपी-I के अंतर्गत पहले से कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा से लगे प्रखंडों में स्थित चिन्हित गांवों के व्यापक विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2028-29 तक के लिए ₹6839 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम-II (वीवीपी-II) को मंजूरी दी है।

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों सहित 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरी सीमा से सटे ब्लॉकों में चिन्हित गांवों के व्यापक विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम -I (वीवीपी-I) को पहले ही मंजूरी दे दी है।

******